उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
संख्या-61/2017/1950/92-1-2017-29(अधि0)/2017
लखनऊः दिनांक 12 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-549/2017 मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-01-2017 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-29/2017/327/91-2-2017-151(जांच) /2015, दिनांक 28-02-2017 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति परिमण्डल-चित्रकूट (बांदा) (निलम्बित) को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किया गया है कि उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29-01-2016 द्वारा संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह उल्लेख किया गया है कि श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2- अतएव प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11-01-2017 के समादर में श्री मुकुन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, को अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-चित्रकूटधाम (बांदा) के पद पर यथावत् तैनात किया जाता है।

3- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-61/2017/1950(1)/92-1-2017, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता, (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
8- कम्प्यूटर अंकित प्रति।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in